



कार्यालय:-वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल।

वन भवन-1, हजारीबाग, 825301 (झारखण्ड)

E-mail: dfo-hazaribagheast@gov.in; Telephone No. 06546-272461

पत्रांक : 1128

दिनांक : 31.05.2021

सेवा में,

महाप्रबंधक
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
10th Floor, Petrol Rial Bhavan 33/11
J.L. Nehru Road, Kolkata

विषय :- विशेष रेलवे लाईन निर्माण परियोजना (DFCCIL) अंतर्गत मौजा- सरियाखुर्द में 1.758हे0 वनभूमि के अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय के पत्रांक 71 दिनांक 04.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के क्षेत्राधीन गिरिडीह जिला अंतर्गत सरिया प्रखण्ड में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में मौजा-सरियाखुर्द के खाता संख्या-1, प्लॉट संख्या-53 एवं 54 में कुल रकबा 1.758हे0 (4.344एकड़) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत समर्पित किया गया है।

अपयोजित होने वाली भूमि मौजा-सरियाखुर्द के खाता संख्या-1, प्लॉट संख्या-53 एवं 54 में कुल रकबा 1.758हे0 (4.344एकड़) से संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत FRA प्रतिवेदन में उक्त भूमि को जंगल झाड़ी भूमि उल्लेख किया गया है। जबकि इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा सूचित किया गया था कि उक्त भूमि अधिसूचित वन भूमि है, जिसका अधिसूचना संख्या C.P.F.-10152/52-5801-RD. 27.12.52 है। वस्तुतः विषयक वन भूमि अपयोजन हेतु संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत FRA प्रतिवेदन में जंगल-झाड़ी के स्थान पर वनभूमि अंकित होना आवश्यक है।

अतः समर्पित प्रस्ताव वापस करते हुए अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन


वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल।
31.5.21